

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
संकल्प

पूरे राज्य में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से 21 जनवरी तक भूकम्प न्यूनीकरण सप्ताह एवं 1 जून से 7 जून तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाने के संबंध में।

विभिन्न आपदाओं की दृष्टि से बिहार राज्य देश के सर्वाधिक आपदा प्रवण 17 राज्यों में से एक है। यह राज्य बाढ़, भूकम्प, अग्निकाण्ड तथा चक्रवात आदि आपदाओं से हमेशा प्रभावित होता रहता है। इस राज्य के कई जिले भूकम्प के सर्वाधिक संवेदनशील जोन V एवं IV के अन्तर्गत आते हैं। भूकम्प संवेदनशीलता वर्षी दृष्टि से 8 जिले यथा—सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अरसिया एवं किशनगंज सर्वाधिक संवेदनशील जोन V में आते हैं। जबकि पटना सहित 24 जिले यथा—पटना, पश्चिम चम्पारण, पुर्णी चम्पारण, शिवहर, गोपालगंज, रीवान, सारण, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नालन्दा, शख्सपुरा, लखीसराय, देवगंगा, खगड़िया, मुग्र, जमुई, नवादा, जहानाबाद, बौका, भागलपुर, कटिहार एवं पूर्णियाँ संवेदनशील जोन IV में आते हैं। अन्य 6 जिले यथा—बकरपर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया एवं अरबल जोन II में पड़ते हैं।

उल्लेखनीय है कि अभी तक भूकम्प पूर्वानुमान की कोई सटीक सूचना प्रणाली विकसित नहीं हुई है, जिससे इसकी पूर्व जानकारी प्राप्त हो सके।

2. यह सच है कि भूकम्प किसी की जान नहीं लेता, परन्तु पुराने एवं कमज़ोर ढौंचे, नये भवनों के निर्माण में न्यूनतम मानदण्डों की अनदेखी तथा लापरवाही विनाश का कारण बनती है। अगर विशेषज्ञों द्वारा तैयार मानदण्डों एवं निर्देश का पालन किया जाय तथा उसे स्मरण रखा जाय, तो भूकम्प से होने वाले नुकसान से काफी हद तक बचा जा सकता है। इसके लिए जनमानस में भूकम्प से बचाव की तैयारी एवं जागरूकता का होना अत्यावश्यक है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता है, परन्तु इससे बचाव के उपाय की जानकारी रखने तथा पूर्व तैयारी करके इसके कुप्रभाव को न्यूनतम अवश्य किया जा सकता है। विदेशों में भी यानि इंडोनेशिया, नेपाल, जापान आदि में भूकम्प से सुरक्षा हेतु जनमानस की सहभागिता एवं जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयास में सहायता मिलती है।

3. अतएव, सरकार ने निर्णय लिया है कि जनजागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस की क्षमता वृद्धि के लिए राज्य भर में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से 21 जनवरी तक पूरे एक सप्ताह तक भूकम्प न्यूनीकरण सप्ताह मनाया जाएगा।

4. यह राज्य बाढ़ आपदा की दृष्टि से भी सर्वाधिक आपदा प्रवण है। राज्य में प्रायः अत्यधिक वर्षा एवं नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण नेपाल से निकलने वाली नदियों से उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। साथ ही दक्षिण बिहार के कई जिले भी बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं। फलत बाढ़ के कारण जान-माल के नुकसान के साथ-साथ आधारमूल संरचनाओं की भारी क्षति होती है। राज्य के 28 जिले बाढ़ आपदा की दृष्टि से बाढ़ प्रवण जिलों के रूप में घिन्हित हैं, जिनमें 15 जिले अति बाढ़ प्रवण जिले हैं। बाढ़ आपदा से होने वाली क्षति को भी जन जागरूकता एवं पूर्व तैयारी के द्वारा न्यूनीकरण किया जा सकता है।

5. अतएव, सरकार ने निर्णय लिया है कि जनमानस को बाढ़ आपदा के प्रति जागरूक बनाने के लिए तथा सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी देने हेतु प्रत्येक वर्ष 1 जून से 7 जून तक पूरे राज्य में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह मनाया जायगा।

(90)

6. पूरे राज्य में उपरोक्त दोनों कार्यक्रम अर्थात् 15 जनवरी से 21 जनवरी तक भूकम्प सुरक्षा सप्ताह तथा 1 जून से 7 जून तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह रक्खलों, कॉलेजों जिला मुख्यालय से प्रखण्ड कार्यालय/ग्राम पंचायत स्तर पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में पूरे सप्ताह विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर भूकम्प/बाढ़ के आने के पूर्व, दौरान तथा बाद में अपनाई जाने वाली सावधानियों का प्रभावकारी इस्तेमाल के लिए drawing, painting, निवध/नारा लेखन, सेमिनार, गोष्ठियाँ, सभा, नुक्कड़ नाटक, मॉक फ़ील तथा महिलाओं, विद्यार्थियों एवं समाज के सभी वर्ग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित किये जाएँगे। इसके साथ ही इन विषयों पर राज्य स्तर पर संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाएँगी।

7. राज्य स्तर पर उक्त दोनों सप्ताह बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला स्तर पर संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाएँगे।

8. उपरोक्त आयोजन के लिए आवश्यक निधि का प्रबंधन आपदा प्रबंधन विभाग के विभागीय बजट में किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


रमेश चन्द्र सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -10/विविध/आ०प्र०प्रा०-41/2011/ 125 /आ०प्र०, पटना-15, दिनांक - 13/1/12.

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अधिसूचना की प्रति एवं सी०डी० के सांथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प गजट की सौ प्रति विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -10/विविध/आ०प्र०प्रा०-41/2011/ 125 /आ०प्र०, पटना-15, दिनांक - 13/1/12

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -10/विविध/आ०प्र०प्रा०-41/2011/ 125 /आ०प्र०, पटना-15, दिनांक - 13/1/12

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -10 / विविध / आ०प्र०प्रा०-४१ / २०११ / १२५ / आ०प्र०, पटना-१५, दिनांक १३/१/१२

प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -10 / विविध / आ०प्र०प्रा०-४१ / २०११ / १२५ / आ०प्र०, पटना-१५, दिनांक १३/१/१२

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -10 / विविध / आ०प्र०प्रा०-४१ / २०११ / १२५ / आ०प्र०, पटना-१५, दिनांक १३/१/१२

प्रतिलिपि उपाध्यक्ष, / सभी सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -10 / विविध / आ०प्र०प्रा०-४१ / २०११ / १२५ / आ०प्र०, पटना-१५, दिनांक १३/१/११

प्रतिलिपि राज्य, मुख्यमंत्री, बिहार / सभी मंत्री/राज्यमंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -10 / विविध / आ०प्र०प्रा०-४१ / २०११ / १२५ / आ०प्र०, पटना-१५, दिनांक १३/१/१२

प्रतिलिपि आपदा प्रबंधन विभाग एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव